न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी:— अमिता बिश्नोई आर ए एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:— 010/2023

1. ओमप्रकाश पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

——— प्रार्थी

—:बनाम:—

1. इन्द्रा देवी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. पाली देवी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. फता देवी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. भोजाराम पुत्र सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
5. रजी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. सुखा देवी पुत्री सहीराम जाति मेघवाल साकिन पंडितांवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ राजस्थान।

——— अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क आर.टी.ए. बाबत् रास्ता स्वीकृति</u>

—:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता —— प्रार्थी
2. श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता —— अप्रार्थीगण
3. राजपैरोकार तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा —— अप्रार्थी सं. 7

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 3 जे.डब्ल्यू. के खाता सं. 3/3 के प.नं. 80/358(25) किला नं. 6 ता 8, प.नं. 81/358(24) किला नं. 7/2, 8, 9, 10, 13/1, 14, 15 दोनों पत्थरों की कुल 2.198 हैक्ट. कमांड खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र है।

अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 3 जे.डब्ल्यू. के खाता सं. 18/32 के प. नं. 81/358(24) किला नं. 16 ता 19, 20/2, 21 ता 25 की 2.193 है कमांड खातेदारी ब.हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है ।

प्रार्थना पत्र की दफा 2 व 3 में वर्णित भूमि पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त परिवार की भूमि थी जिसका पिछले 10—16 वर्षों पूर्व घरू बंटवारा होकर अलग अलग दर्ज रिकॉर्ड हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थी के पास कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने के लिये अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम [illegible] में से चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) किला नं. 16 व 25 में 0.013—0.013 हैक्ट. यानि 1—1 बि[illegible] रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता से आना जाना करता है व कोई औजार [illegible] है। उक्त रास्ता पिछले काफी वर्षों से चालू है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास [illegible] आने जाने के लिये अन्य [illegible] रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थी रव अप्रार्थीगण अपनी-[illegible]नी ढ़ाणी में व कृषि भूमि [illegible] जाने के लिये करते है। चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) के किला नं. 16 में अप्रार्थीगण की ढ़ाणी बनी हुई है व इसी प.नं. 81/358(24) के किला नं. 15 में प्रार्थी की ढ़ाणी बनी हुई है। चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) के किला नं. 16 में पूर्वी दिशा में मौका पर घरेलू खाला चल रहा है जिससे अप्रार्थीगण अपनी भूमि में सिंचाई करते है। उक्त खाला के चिपते ही प्रार्थी अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) किला नं. 16 व 25 में से 0.013—0.013 हैक्ट. यानि 1—1 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.08 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

रास्ता बजानिब बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लंबा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी डीएलसी दर की दोगुना राशि अथवा रास्ता में आई भूमि की एवज में उतनी भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 को देने के लिये तैयार है।

अप्रार्थी सं. 7 जो कि भू–धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज भूमि में से चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) किला नं. 16 व 25 में से 0.013–0.013 हैक्ट. यानि 1–1 बिस्वा रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 01.08.2023 को प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं. 1, 2, 4, 5, 6 की ओर से श्री जगराज सिंह भारी द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 04.08.2023 को श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थिया सं. 3 (फता देवी पुत्री सहीराम) की ओर से इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार पीलीबंगा से पत्रांक रीडर/2022/1028 दिनांक 22.02.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारान को पक्षकार बनाया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गया रास्ते के अलावा अन्य कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से कम दूरी का रास्ता नहीं लगता है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू नहीं है।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजात, इकबाल प्रार्थना–पत्र और राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क आर.टी.ए. मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट रीडर/2022/1028 दिनांक 22.02.2024 व धारा 251 (क) के प्रावधानों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र साबित होने के कारण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि चक 3 जे.डब्ल्यू. के प.नं. 81/358(24) किला नं. 16 व 25 में 0.013–0.013 हैक्ट. यानि 1–1 बिस्वा रास्ता बजानिब पूर्व दिशा में उत्तर दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता की 15 व 25 की कुल 0.026 हैक्टेयर भूमि की एवज में भूमि की डी.एल.सी. दर का दोगुना राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करावें।

तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा द्वारा आदेशानुसार राशि खजाना राज में प्रतिकर के रूप में जमा करवाकर रास्ते की भूमि का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 30/04/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.05.08 12:00:32 IST
Reason: SelfAttested